सार संक्षेप

गुरुग्राम, हरियाणा में गैरक़ानूनी सिगरेट जब्त हुई

गुरुग्राम। ग्राहक चेतना ट्रस्ट, सेक्टर 15 द्वारा दी गई सूचना और खुफिया जानकारी के आधार पर, पुलिस अधिकारियों ने 10 जुलाई, 2024 को एक संयुक्त अभियान चलाकर गुरुग्राम के दो बाजारों में प्रतिबंधित सिगरेट्स की छानबीन की। इस कार्रवाई में प्रतिबंधित सिगरेट्स के सप्लायर, नारायण दास को प्रतिबंधित स्टॉक बाजार में वितरित करते हुए पकड़ा गया। सप्लायर के ख़िलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पकड़े गए प्रतिबंधित सिगरेट्स में एस्से लाइट 24, एस्से लाइट गोल्ड, एस्से ब्लैक, एस्से चेंज, मौंड ब्लू, डनहिल स्विच, गुडांग गरम, स्पेशल गोल्ड, मौंड, डनहिल, गोल्ड फ्लेक, हनी ड्यू, जारुम ब्लैक, और पाइन शामिल हैं। प्रतिबंधित सामग्री बेचने वाले अन्य लोगों और दुकानों को चेतावनी दी गई। इस छापेमारी के बारे में ग्राहक चेतना ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी सुरेश कौशिक ने बताया, 'इन मामलों में हमारे द्वारा दी गई जानकारी की छानबीन करने और कार्रवाई करने के लिए हम कानून प्रवर्तन संस्था की सराहना करते हैं। इस कार्रवाई से गैरक़ानूनी सप्लाई चेन को रोकने में मदद मिलेगी। हम भारत में अवैध नकली/ प्रतिबंधित वस्तुओं के बारे में उपभोक्ताओं की जागरूकता और शिक्षा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सिगरेट का गैरक़ानूनी व्यापार जन स्वास्थ्य और समाज के लिए एक गंभीर व बढ़ता हुआ खतरा है। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है, वैधानिक व्यवसायों को नुकसान पहुँचता है, और उपभोक्ता ऐसे उत्पादों के संपर्क में आते हैं, जो किसी नियम के दायरे में नहीं। इसलिए, सिगरेट के गैरकानूनी व्यापार को रोका जाना और कड़े कदम उठाकर इस खतरे को दूर किया जाना बहुत जरूरी है।